

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/87811/BJN/BIJNOR/539/CFO

दिनांक: 29-06-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **A A M PUBLIC SCHOOL AT VILL BASI KIRATPUR TEHSIL NAJIBABAD DISTT BIJNOR** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता -, **BIJNOR -NAJIBABAD TO VILL BASI KIRATPUR ROAD, NAJIBABAD** तहसील - **NAJIBABAD**, प्लॉट एरिया **8660 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **1493** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
EDUCATIONAL BLOCK	2	0	7.90 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **A A M PUBLIC SCHOOL AT VILL BASI KIRATPUR TEHSIL NAJIBABAD DISTT BIJNOR** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईएस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **01-07-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SHAHID ALI** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **02-07-2023** से **01-07-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **A A M PUBLIC SCHOOL AT VILL BASI KIRATPUR TEHSIL NAJIBABAD DISTT BIJNOR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **A A M PUBLIC SCHOOL AT VILL BASI KIRATPUR TEHSIL NAJIBABAD DISTT BIJNOR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : उक्त स्कूल सम्पूर्ण भवन वर्ष 2021 का निर्मित होकर कर संचालित है। उक्त भवन को अग्निशमन अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या-18 /छ:-पु० -8 -2022 /905 -34 -201 टी० सी० दिनांक 07 -01 -2022 में दी गयी ढांचागत एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था में शिथिलीकरण के आधार पर निर्गत की जाती है। उक्त भवन में मानकों के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था हर समय कार्यशील दशा में रखनी अनिवार्य होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(AJAY KUMAR SHARMA)

[A374EAC7B2755ED009D1F2B68F02126B261C8225]

02-07-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 02-07-2023
स्थान : BIJNOR